प्रेस विज्ञप्ति
02/09/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधियों के गबन से संबंधित मामले में श्री धरमपाल सिंह चाबड़ा के पुत्र सतपाल सिंह चाबड़ा को 01.09.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें 01.09.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया, और माननीय न्यायालय ने 5 दिनों की ईडी हिरासत रिमांड प्रदान की है।

ईडी ने छत्तीसगढ़ में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधियों के गबन से संबंधित जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) घोटाला मामले में रायपुर स्थित एसीबी/ईओडब्ल्यू और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

जांच में पता चला कि खनन गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के लाभ के लिए प्रत्येक राजस्व जिले में गठित डीएमएफ ट्रस्टों का लोक सेवकों, लायजनरों और विक्रेताओं के एक सुव्यवस्थित सिंडिकेट द्वारा दुरुपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान विभिन्न जिलों को डीएमएफटी के अंतर्गत प्राप्त 9,188.20 करोड़ रुपये (लगभग) में से एक हिस्से को उसके निर्धारित उद्देश्य से हटाकर आपूर्ति-आधारित कार्यों को प्राथमिकता दी गई, जिनमें कीमतों को बढ़ाकर दिखाने और कमीशन उत्पन्न करने की अधिक गुंजाइश थी। इन निधियों का एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम (बीज निगम) के माध्यम से भेजा गया, जहां एजेंटों/लायजनरों ने रेट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर संस्थाओं के पक्ष में जारी किए गए खरीद आदेशों के आधार मूल्य पर 25% से 50% तक कमीशन वसूला। इस कमीशन का एक बड़ा हिस्सा कार्य आदेश जारी करने और भुगतान जारी करने के लिए लोक सेवकों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों को दिया गया।

सतपाल सिंह चाबड़ा ने इस सिंडिकेट के प्रमुख लायजनरों और वित्तीय समन्वयकों में से एक के रूप में कार्य किया। उसने ऐसे आपूर्ति-आधारित डीएमएफटी कार्यों की पहचान की, जिनसे पर्याप्त कमीशन प्राप्त किया जा सकता था, ऐसे कार्यों को प्रतिशत के आधार पर चयनित विक्रेताओं के बीच बांटा, कार्य आदेश जारी कराने और भुगतान जारी कराने में सुविधा प्रदान की, विक्रेताओं से कमीशन एकत्र किया और सिंडिकेट के सदस्यों के बीच उसके वितरण में भाग लिया। ईडी ने इससे पहले 03.09.2025 से 04.09.2025 तक पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1) के तहत इस मामले में तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे।

बैंकिंग लेन-देन के विश्लेषण तथा पीएमएलए, 2002 की धारा 17 और 50 के तहत दर्ज किए गए बयानों से पता चला कि उसे कुल लगभग 31 करोड़ रुपये का अवैध कमीशन प्राप्त हुआ, जो अपराध से अर्जित आय का हिस्सा है। यह राशि आरोपी, उसके परिवार के सदस्यों, एचयूएफ और उसके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के खातों में प्राप्त हुई थी। तदनुसार, सतपाल सिंह चाबड़ा को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत 01.09.2026 को गिरफ्तार किया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।